निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 36 / 2024
दायरा दिनांकः–11.06.2024
निर्णय दिनांकः– 25.2.25

उनवान

1. रामप्रसाद उम्र 50 साल पुत्र देवीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम घट्टा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कल्लु उम्र 70 साल पुत्र हीरालाल
2. ओमराज उम्र 50 साल पुत्र कल्लु
3. पप्पु उम्र 45 साल पुत्र कल्लु
4. संग्राम उम्र 38 साल पुत्र कल्लु
5. धीरप उम्र 40 साल पुत्र कल्लु
6. रघुवीर उम्र 35 साल पुत्र कल्लु
7. सूरजमल उम्र 30 साल पुत्र कल्लु
8. ललताबाई उम्र 45 साल पत्नि ओमराज
9. कजोडी बाई उम्र 60 साल पत्नि कल्लु जातियान मीणा ग्राम कमालपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 25.2.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री सुरेन्द्र कुमार भार्गव – प्रार्थी
2. श्री अमर सिंह मीना – प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के खातेदार एवं कब्जे काश्त की भूमी खाता संख्या 79 खसरा नंबर 1/4 रकबा 0.6323 वाके ग्राम मानपुरा तहसील छबडा जिला बारा राजस्थान में स्थित हैं। जिस पर प्रार्थी निरन्तर व आबाद रूप से काश्त करता चला आ रहां है। प्रार्थी ने दिनांक 13/06/2012 को उक्त वर्णित भूमी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...लीन खातेदार राधाकिशन पुत्र श्रीया जाति नाई निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील ...बडा जिला बारा राजसीन से कय की थी। प्रार्थी उक्त कय शुदा भूमी पर दिनांक 13/06/2012 से ही काबिज काश्त करता चला आ रहा है। इससे पूर्व उक्त भूमी पर पूर्व खातेदार राधाकिशन नाई अपने पूर्वजो के जमाने से पिछले 100 वर्षों से काबिज काश्त कर रहें है। उक्त खाता संख्या 79 के नक्शाकिश्तवार मौका मानपुरा तहसील छबडा डिविजन कोटा राजस्थान सन् 1954 संवत 2010 में कहीं भी खसरा नंबर 1/4 अंकित नहीं है। किन्तु उक्त खसरा नंबर 1/4 की तरमीम करते वक्त हल्का पटवारी भूलोन ने प्रार्थी के उक्त भूमी पर पिछले 100 वर्षो से रहें कब्जे को नजरअंदाज कर तरमीम की है, जो सही नही है। वर्तमान तरमीम के आधार पर प्रार्थी जहां वर्षो से काबिज था वहां पर अन्य खातेदारान का खसरा तरमीम कर दीया गया है. प्रार्थी को अन्य खातेदारान से लडाई झगडा करने की नोबत आ हीं है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की कृर्षि भूमी खसरा नंबर 1/4 को काबिल काश्त बनाकर तैयार किया है। एवं उक्त खातेदारी में ट्युबवेल लगा रखी है। यदि प्रार्थी को अपने कब्जे अनुसार उक्त खातेदारी पर तरमीम नही किया गया तो अपनी काबिल काश्त भूमी से बेदखल होना पडेगा जिससे प्रार्थी को घोर क्षति होंगी। अप्रार्थी कम 1 कल्लू वर्तमान तरमीम के अनुसार प्रार्थी की कृर्षि भूमी को अपनी बता कर प्रार्थी की कृर्षि भूमी पर कब्जा करने पर आमादा है। जबकी अप्रार्थी कल्लू उक्त भूमी पर कभी भी काबिज नहीं रहां है। अप्रार्थी कल्लू का प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमी से कोई सरोकार नहीं रहां है। वर्तमान में भी प्रार्थी ने उक्त कृर्षि भूमी पर मूंग की फसल उगा रखि हैं जिसकी कटाई चल रही है। अप्रार्थी कम 1 ता 9 दिनांक 28/05/2024 को प्रार्थी के खातेदारी की भूमी खसरा नंबर 1/4 पर एक राय होंकर आयें तथा प्रार्थी को जल्द से जल्द खेत खाली करने की धमकीयां दी तथा प्रार्थी के साथ गाली–गलोच कियां एवं प्रार्थी के साथ मारपीट करने पर आमादा हों गए एवं कहां की यह खेत अब हमारा है। यदि यह खेत खाली नहीं कर कब्जा नहीं छोडा तो हम सब मिलकर तुझे जान से मार डालेंगे। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से जान माल का खतरा उत्पन्न हों गया है। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमी खसरा नंबर 1/4 वाके ग्राम मानपुरा की पुनः तरमीम प्रार्थी के वर्षो से काबिज होंने के आधार पर किया जाना न्यायोचित है। यदि उक्त खसरा नंबर की तरमीम कब्जे अनुसार नहीं की गई तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण बीच लडाई–झगडा होने की संभावना है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्यें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मानपुरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 79 पेश की गई, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मानपुरा, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मानपुरा सम्वत् 2010 पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मानपुरा तहसील छबडा में स्थित है। जिस पर प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि दिनांक 13.06.2012 को राधाकिशन पुत्र श्रीया जाति नाई निवासी कमालपूरा से क्रय की गई थी क्रय करने के बाद से प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है विवादित आराजी की तरमीम प्रार्थी के कब्जे काश्त अनुसार नही कि गई है अन्य खातेदारान के खसरा नम्बर तरमीम कर दिये है जिससे पक्षकरान के मध्य लडाई–झगडा होने की सम्भवना रहती है। अप्रार्थीगण वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...म के अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है अप्रार्थीगण ... उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

बहस अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के खाता संख्या 89 की भूमि खसरा नम्बर 1/4 रकबा 0.6323 है0 का नक्शा तरमीम राजस्व विभाग द्वारा सही किया गया है जिसकी पैमाईश हल्का पटवारी ने दिनांक 13.06.2023 को तहसीलदार छबडा के आदेश अनुसार सही की है प्रार्थी की भूमि के लगवा ही खसरा नम्बर 1/1 रकबा 1.2646 है0 जो अप्रार्थी क्रम 1 कल्लु के खातेदारी की है अप्रार्थी की भूमि का नक्याा तरमीम स्पष्ट बना हुआ है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1/4 के अलावा अप्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है अप्रार्थी ने भूमि की पैमाईश करवा कर कब्जा प्राप्त किया है प्रार्थी पैमाईश की रिपोर्ट के बाद भी अप्रार्थी क्रम 1 की भूमि पर जबरन कब्जा कर फसल बो दी है जिसकी रिपोर्ट अप्रार्थी द्वारा थाना बापचा में दर्ज करवाई थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मानपुरा तहसील छबडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 79 के अनुसार विवादित आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है प्रार्थी द्वारा शांतिपूर्वक कब्जा काश्त होना बताया गया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1/4 रकबा 0.6323 है0 प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र देवीलाल के खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का नक्शा तरमीम हेतु विवाद है। जिसका समाधान मूल वाद के निस्तारण के आधार पर होगा। दौराने वाद, वाद बाहुलता को रोकने एवं विवाद को निपटाने हेतु यह आवश्यक है कि मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाना न्योचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मानपुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 1/4 रकबा 0.6323 है0 भूमि पर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करें। मौके की यथास्थिति बनाए रखे। ऐसा कृत्य ना तो स्वंय करें और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह, गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा